

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 5243/17

दिनांक 24/5/17

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

जीवन ज्योति इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस,
अलीगढ़ (सेन्टर कोड 1088)

महोदय / महोदया,

आपको अवगत कराना है कि सत्र 2016-17 ए0एन0एम0 प्रथम वर्ष में इनरोलमेन्ट नं. 1710883100120 के द्वारा छात्रा कु0 हेमलता शर्मा पुत्री श्री चन्द्रपाल शर्मा का इनरोलमेन्ट आपके प्रशिक्षण केन्द्र में किया गया है जिसकी जन्मतिथि संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार 05.06.1981 है। जबकि आप द्वारा इनरोलमेन्ट करते समय 05.06.1986 अंकित किया गया है, जो आपस में विरोधाभाष है। आप द्वारा भेजे गये हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि 05.06.1981 है। प्रशिक्षण प्रवेश के समय छात्रा की आयु इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली पाठ्यक्रम के अनुसार 17-35 वर्ष होना चाहिये। उक्त छात्रा की अधिकतम आयु प्रवेश/अक्टूबर-2016 को 35 वर्ष के अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि उक्त छात्रा की अधिकतम आयु 01 अक्टूबर को 35 वर्ष 03 माह 27 दिन हो रही है जो निर्धारित आयु 35 वर्ष से अधिक है। अतः उक्त छात्रा ए0एन0एम0 प्रशिक्षण सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु योग्य नहीं है। आप द्वारा अधिकतम आयु की छात्रा को इनरोलमेन्ट गलत आयु दिखाकर की गयी है जो नियमों के विपरीत है।

अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण दे कि क्यों न आपके प्रशिक्षण के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस संबंध में आपके प्रशिक्षण केन्द्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

भवदीय,

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।